चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक-12.12.2025 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय सोनेपुर में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द वर्मा की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल की उपस्थिति में SJPU (विशेष किशोर पुलिस इकाई)/ CWC (बाल कल्याण समिति)/AHTU (एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी। इस गोष्ठी समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालक तथा पीड़ित की जन्मतिथि का सत्यापन आधार कार्ड से न करके विद्यालय के अंक-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, नगर निकाय, नगर पालिका या मेडिकल परीक्षण कराकर किया जाए। बाल कल्याण इकाई को बताया गया कि यदि कोई नाबालिक पीड़ित/पीड़िता है और उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है तो ऐसी स्थिति में बाल कल्याण इकाई के सदस्य द्वारा स्वयं वादी बनकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। पीड़िता का तत्काल समय सीम के अन्दर विधि के अनुरुप मेडिकल परीक्षण कराया जाये तथा आर्थित रुप से कमजोर पीड़िताओं को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलायें। SJPU(विशेष किशोर पुलिस इकाई), CWC (बाल कल्याण इकाई) के कार्यों एवं एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग(AHTU) के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। बाल विवाह पर रोक लगाया जाये तथा जनपदीय गठित टीम द्वारा भ्रमण कर बालकों से कराये जा रहे श्रम को प्रतिबंधित कराया जाये और जिनके द्वारा श्रम कराया जा रहा है उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाये।

इस गोष्ठी में जिला प्रोबेसन अधिकारी द्वारा बताया गया कि विधि का उल्लंघन्न करने वाले बालकों से अपराधी के तरह व्यवहार न किया जाये, गोष्ठी में उपस्थित सभी बाल कल्याण अधिकारी एवं सदस्यों को बताया गया कि गुमशुदा बच्चों के बरामद होने के बाद उन्हे CWC के सुपुर्द करें, CWC बच्चे के परिजनों की पहचान कर उनके परिजनों के सुपुर्द करेगी। यदि कोई नाबालिक आत्महत्या का प्रयास करता है तो पुलिस ऐसे नाबालिक बच्चो को CWC के सुपुर्द करें एवं CWC ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के पश्चात जानकारी करें कि उनके द्वारा ऐसा प्रयास क्यों किया गया है इसके बाद बाद ही परिजनों के सुपुर्द किया जाये।

इस गोष्ठी में बाल संरक्षण अधिकारी श्री सौरभ चंद्र सिंह,प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी श्री जयप्रकाश उपाध्याय व जनपद के बाल संरक्षण से सम्बन्धित अन्य विभागों के सदस्य व अधिकारी/कर्मचारीगण तथा समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त भीमसेन पुत्र वैकल रैदास निवासी ग्राम परसौंजा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूटको 20 अदद क्वार्टर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री उ0नि0 योगेन्द्र बहादुर थाना पहाड़ी

2.आरक्षी मृत्युजंय पाण्डेय

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामकरन सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मोहित पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी मुलायम नगर नई वस्ती कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री रामकरन सिंह
2.आरक्षी संदीप लोधी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना भरतकूप की पुलिस टीम द्वारा कुल 04 आरोपियों को जुला खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।
चौकी प्रभारी भैसोंदा उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना भरतकूप व उनकी टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त 1.रिजवान पुत्र रमजान अली 2. युसूफ पुत्र अजमत 3. शाहरुख पुत्र मुमताज खान निवासीगण कस्बा व थाना बदौसा 4.दादूलाल पुत्र बहोरा निवासी ग्राम सुदीनपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से माल फड 6470/- रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 1880/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तो के विरुद्ध थाना भरतकूप में 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.चौकी प्रभारी भैसोंदा उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह
2.आरक्षी अखिलेश तोमर
3.आरक्षी शुभम यादव
4.आरक्षी नन्हे यादव
5.आरक्षी नरेंद्र यादव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिहं के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यावही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सरधुवा के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस टीम ने मानसिक रुप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

➡️ उल्लेखनीय है कि दिनाँक 10.12.2025 को थाना सरधुवा अन्तर्गत निवासिनी एक वादिया द्वारा थाना सरधुवा पर सूचना दी कि उनकी पुत्री जो मानसिक रुप से अस्वस्थ रहती है। जिसकी उम्र 20 वर्ष है,पुत्री दिनांक 09.12.25 को शाम 5:30 बजे डेरा से घर के लिये आ रही थी। रास्ते में गांव का ही रहने वाला तीरथ दुबे पुत्र नक्क दुबे उनकी पुत्री को जबरजस्ती सरसो के खेत मे घसीट कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया । सूचना पर थाना सरधुवा में मुअ0सं0 191/25 धारा 64(1),118(1) पंजीकृत किया गया।
दिनाँक 11.12.2025 को उ0नि0 श्री अरविन्द्र कुमार पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा विवेचना बयान वादिनी,गवाहान बयान पीडिता अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएसएस व मेडिकल आदि के आधार पर अभियुक्त तीरथ दुबे उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1. उ0नि0 श्री अरविन्द्र कुमार पाण्डेय
2. मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र कुमार
3. आरक्षी हरेन्द्र कुमार

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस टीम ने थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम पराकों में चोरी की घटनी कारित करने वाले शेष वाँछित अभियुक्त को चोरी के 01 अदद नारियल व 02 अदद पायल व 04 अदद बिछिया व 01 अदद बिस्कुट समस्त सफेद धातु व 02 अदद नाक की कील पीली धातु के साथ गिरफ्तार किया।

➡ उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.06.2025 को अजय कुमार पाण्डेय पुत्र प्रयाग दत्त पाण्डेय निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर पर सूचना दी कि रात में वह अपने छत पर सोये हुए थे तथा सीढियों से बना दरवाजा खुला हुआ था रात में लगभग 12 से 02 बजे के बीच अज्ञात चोरो द्वारा उनकी अलमारी में रखे जेवरात व नगदी चोरी कर लिए । उनके के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,जिसमें एक चोर का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 135/25 धारा 331(4),305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना राजापुर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 18.06.2025 को घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.राघवेन्द्र कुशवाहा उर्फ प्रिन्स पुत्र धर्मदास कुशवाहा नि0 कस्बा सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा (म.प्र.) 2.शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार नि0 मन्कुवाँर थाना मऊ जिला चित्रकूट 3.विनोद कुशवाहा पुत्र स्व0 भोला प्रसाद कुशवाहा नि0 ग्रा0 देवरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना को गिरफ्तार कर जेला भेजा जा चुका है।
आज दिनाँक 12.12.2025 को थाना राजापुर पुलिस टीम ने घटना मे सम्मिलित शेष वाँछित अभियुक्त सुरेन्द्र कुशवाहा पुत्र भानू प्रताप उम्र 45 वर्ष निवासी समरिया थाना
सेमरिया जनपद रीवा म0प्र0 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 01 अदद नारियल व 02 अदद पायल व 04 अदद बिछिया व 01 अदद बिस्कुट समस्त सफेद धातु व 02 अदद नाक की कील पीली धातु बरामद हुई।